

श्रीमान जी,

विवाह पंजीयन शुल्क जमा हो चुकी है विवाह
के पक्षकारान ^{30 दिवस} ~~के~~ आपसे रचना लिया ग
एस्तासराय प्रस्तुत है

~~Aamh~~

सुखचैन सिंह


26/11/20

26/11/20

श्रीमान जी,

~~M R U~~


विशेष विवाह के पक्षकार कु0 पुनम ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थीया के पिता गंगजल को आप द्वारा जारी आपत्ति प्राप्त हुआ जिसमें मेरी व सुखचैन सिंह की शादी श्रीमान जी के कार्यालय में पंजीयन होने का अंकन है और मैं एक भोली-भाली लड़की हूं और अप्रार्थी सुखचैन सिंह के द्वारा मुझे बहलाया फुसलाया गया है मेरी अनुसूचित जाति होने पर अप्रार्थी सुखचैन सिंह ने अपनी सामान्य जाति के व्यक्ति से शादी करने पर सरकार से 7,50,000/- रुपये का लालच दिया गया है जबकि मैं अप्रार्थी सुखचैन सिंह के बहकावे में आकर व अपने माता-पिता की मर्जी के बिना गलती से उक्त आवेदन में सहमति दे दी है और अब मैं अपने माता-पिता व रिश्तेदारों व परिवार के समाज के सदस्यों के समझाईश पर बिना किसी दबाव के उक्त विवाह नहीं किए जाने का निर्णय ले लिया है। लिहाजा आपत्ति पत्र पेश करके अर्ज है कि उपरोक्त आपत्ति पत्र में मुझ प्रार्थीया का एतराज माना जाकर उक्त विवाह का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की कृपा करें।

प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि विशेष विवाह की पक्षकार कुमारी पुनम पुत्री श्री गंगाजल जाति नायक निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर के उपस्थित होकर विशेष विवाह अनुष्ठापन नहीं करवाने की प्रार्थना पत्र विशेष विवाह का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2020 स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। अतः विशेष विवाह का प्रार्थना पत्र सुखचैन सिंह एवं कुमारी पुनम दिनांक 03.11.2020 दाखिल दफतर किया जाना प्रस्तावित है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

विवाह पंजीयक महोदय




26/11/20

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकंठा)
श्रीगंगानगर